मेसर्स फिल मिनरल्स बेनीफिकेशन एण्ड इनर्जी प्रा. लि. द्वारा ग्राम–बेलतरा, व्हाया–रतनपुर, ब्लॉक–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में 1.2 मिलीयन टन/वर्ष क्षमता के ड्राई कोल वाशरी व 1.2 मिलीयन टन /वर्ष क्षमता के वेट कोल वाशरी के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 01.10.2007 का कार्यवाही विवरण :–

मेसर्स फिल मिनरल्स बेनीफिकेशन एण्ड इनर्जी प्रा. लि. द्वारा ग्राम–बेलतरा, व्हाया–रतनपुर, ब्लॉक–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में 1.2 मिलीयन टन/वर्ष क्षमता के ड्राई कोल वाशरी व 1.2 मिलीयन टन/वर्ष क्षमता के वेट कोलवाशरी लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। इस हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानानुसार लोक सुनवाई दिनांक 01.10.2007 दिन सोमवार को प्रातः 11.00 बजे स्थान–कार्यालय ग्राम–पंचायत, बेलतरा, जिला–बिलासपुर में सम्पन्न हुई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानानुसार सर्वसंबंधित से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने का सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार दैनिक भास्कर, एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के अंक में क्रमशः दिनांक 25.08.2007 एवं 29.08.2007 प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि तक क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को आपत्ति/विचार प्राप्त नहीं हुई है। लोक सुनवाई के दौरान प्रबंधन के प्रतिनिधि द्वारा उक्त परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इसके साथ जल,वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों की जानकारी लोगों को दी गयी। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :–

1. परियोजना से आस–पास के कृषि फसलों को नुकसान होता है तो परियोजना द्वारा क्षतिपूर्ति एग्रीमेंट कराया जाय।
2. कोलवाशरी ग्राम के हृदय स्थल पर स्थापित किया जा रहा है जो आदिवासी प्राथमिक शाला, हाईस्कूल के समीपस्थ है यहां उद्योग द्वारा भू जल का उपयोग करने से भूमिगत जल स्तर गिरने की आशंका है। जिससे कृषि प्रभावित होगी।
3. कोलवाशरी शुरू होने से धुल उड़ेगा। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में वाशरी से गरीब मारे जायेगें। बीमारी का इलाज नहीं करा पायेगें।
4. कोलवाशरी द्वारा शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाय।
5. कोलवाशरी उद्योग में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया जाय।
6. कोलवाशरी से कृषि फसल नष्ट होगा मुआवजा संबंधित कंपनी द्वारा प्रदाय किया जावें। भारी–भारी वाहन के आवागमन से रोड जर्जर न होने पाये, इस हेतु परियोजना द्वारा आवश्यक उपाय किया जाये।
7. कोलवाशरी द्वारा गांवों में चिकित्सा एवं ग्राम के विकास में अस्पताल हेतु एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाय।

लोक सुनवाई के दौरान भी जनसामान्य द्वारा आपत्ति/विचार दर्ज कराई गयी। जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जनसामान्य की उपस्थिति लगभग 96 रही। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अजय गेडाम)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

(डॉ. कमल प्रीत सिंह)
अपर कलेक्टर,
(कलेक्टर प्रतिनिधि)
बिलासपुर